बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

विषय:- **भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से केन्द्र प्रायोजित इंदिरा आवास एवं एन0आर0एल0एम0 योजना तथा इसके अंतर्गत सभी परियोजनाओं एवं उपयोजनाओं (डी0आर0डी0ए0 सहित) के लिए केन्द्र एवं राज्य के निधि अंशदान के वर्तमान अनुपात 75:25 के स्थान पर लागू किये गये 60:40 के नये अनुपात को राज्य में दिनांक- 01.04.15 के प्रभाव से लागू किए जाने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में ।**

केन्द्र प्रायोजित- इंदिरा आवास योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना तथा इनकी परियोजनाओं एवं उपयोजनाओं (जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सहित) के संचालन हेतु पूर्व से केन्द्र एवं राज्य का निधि अंशदान का अनुपात क्रमश: 75:25 निर्धारित है । वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध सरकारी पत्र सं0- 32/ PSO / FS / 2015 दिनांक- 28.10.2015 द्वारा इस अनुपात में परिवर्तन करते हुए केन्द्र एवं राज्य का निधि अंशदान अनुपात वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रभाव से क्रमश: 60:40 निर्धारित किया गया है । इस संदर्भ में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं0- G-20011/08/2015-RL दिनांक- 07.12.15 एवं अन्य पत्रों द्वारा उक्त योजनाओं में वर्ष 2015-16 के लिए दिनांक- 1.4.2015 से विमुक्त किए गए सभी निधि अंशदानों के संदर्भ में इसे लागू किए जाने का निदेश दिया गया है ।

2. भारत सरकार के उक्त निर्णय एवं दिशानिर्देशों को राज्य में संचालित उक्त केन्द प्रायोजित योजनाओं के संदर्भ में लागू करते हुए योजनाओं को कार्यान्वित करने का निर्णय राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

3. सम्यक विचारोपरान्त भारत सरकार के उक्त निर्णय एवं दिशानिर्देशों को चालू केन्द्र प्रायोजित योजना- इंदिरा आवास योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना तथा इनकी सभी परियोजनाओं एवं उपयोजनाओं (जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सहित) में दिनांक- 1.4.2015 के प्रभाव से लागू करते हुए केन्द्र एवं राज्य का निधि अंशदान अनुपात क्रमश: 60:40 किए जाने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

4. इसके फलस्वरूप उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन में 60 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय राज्य के आंतरिक संसाधनों पर भारित होगा ।

5. इसमें राज्य मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

4/4/2016

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 267925 / पटना, दिनांक 04/04/2016

ग्रा0वि0-6(SGSY/ NRLM)-01-08/2016

प्रतिलिपि- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । कृपया इसकी 100 (एक सौ) प्रतियाँ ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जाय ।

4/4/2016

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 267925 / पटना, दिनांक 04/04/2016

ग्रा0वि0-6(SGSY/ NRLM)-01-08/2016

प्रतिलिपि- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक- 29.03.16 के मद सं0- 14 के निर्णय के कार्यान्वयन के सूचनार्थ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

4/4/2016

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 267925 / पटना, दिनांक 04/04/2016

ग्रा0वि0-6(SGSY/ NRLM)-01-08/2016

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना / सभी विभागीय प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / सभी जिला कोषागार पदाधिकारी / उप कोषागार पदाधिकारी / विभागीय लेखा शाखा / आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

4/4/2016

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 267925 / पटना, दिनांक 04/04/2016

ग्रा0वि0-6(SGSY/ NRLM)-01-08/2016

प्रतिलिपि- संयुक्त सचिव (आर.एल.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, होटल सम्राट, नई दिल्ली को उनके पत्र सं0- G-20011/08/2015-RL दिनांक- 07.12.15 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

4/4/2016

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 267925 / पटना, दिनांक 04/04/2016

ग्रा0वि0-6(SGSY/ NRLM)-01-08/2016

प्रतिलिपि- राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीविकोपार्जन-सह-आयुक्त जीविका, ग्रामीण विकास विभाग, विद्युत भवन, पटना / आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

4/4/2016

सरकार के सचिव